KH135/2014

कोर्ट फी 20रु. Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

कोर्ट फी 20रु. Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

पुर्नविलोकन याचिका क्र. /2014

प्रस्तुती दिनांक – 5-6-14

रा. रा. श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय मध्यप्रदेश ,ग्वालियर ,

कैम्प इन्दौर के समक्ष.

रिव्यू 2040-PBR/14

रिव्यू 2040-PBR/14

1. श्रीमती पन्तुबाई पति कैलाशसिंह,
   निवासी – ग्राम राजधरा, तहसील व
   जिला इन्दौर,म0प्र0 —— आवेदक

विरूद्ध

श्री महेन्द्रसिंह गुर्जर
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 5/6/2014
को प्रस्तुत
350/05.06.2014
अधीक्षक

आज्ञार्थ कार्यालय में
प्रस्तुत
17.6.14

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा
   कलेक्टर महोदय, इन्दौर
2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा
   तहसीलदार, इन्दौर
3. जानकीलाल पिता परमानन्द ,
   मृतक तर्फे वारिस :–
   अ. दिलीपकुमार पिता जानकीलाल ,
   ब. विजयकुमार पिता जानकीलाल ,
   स. श्रीमति धापूबाई पति जानकीलाल,
   निवासी – ग्राम मुण्डलादोसदार,
   तहसील व जिला इन्दौर —— अनावेदकगण

19.6.14

पुर्नविलोकन अन्तर्गत धारा 51 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक आर–4135 – पीबीआर/2013 में दिनांक 27.03.2014 को पारित आदेश के पुर्नविलोकन हेतू सदर याचिका आवेदक की ओर से निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है :—

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 2040-पीबीआर/14 जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-3-2018	आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । इस न्यायालय का आदेश दिनांक 27-3-2014 में मात्र अपर आयुक्त के आदेश की वैधानिकता पर विचार किया गया था, जबकि निगरानी मूलत: कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी, इसलिए रिव्यु ग्राह्य की जाती है । इस न्यायालय का आदेश दिनांक 27-3-2014 निरस्त किया जाता है । मूल निगरानी प्रकरण पुन: नम्बर पर लिया जाता है । यह रिव्यु प्रकरण समाप्त किया जाता है । अध्यक्ष	